भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4557

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना

4557. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में कितने नए एमएसएमई उद्योग स्थापित किए गए हैं और इनके अंतर्गत जिलावार कितने लोगों को रोजगार मिला है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बिहार के पारम्परिक उद्योगों जैसे कि हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, कृषि आधारित लघु उद्योगों और औरंगाबाद के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति लागू की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा बिहार में लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, बाजार की उपलब्धता और प्रौद्योगिकीय उन्नति संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) जी, नहीं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष स्कीम का कार्यान्वयन नहीं करता है। मंत्रालय की स्कीमों का कार्यान्वयन पूरे देश में किया जाता है।

(ख) बिहार में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की जिला-वार संख्या तथा दिनांक 01/02/2020 से 15/03/2025 तक की अवधि में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) एमएसएमई मंत्रालय बिहार के परंपरागत उद्योगों जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, कृषि आधारित लघु उद्योग और कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी नई नीति का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि, एमएसएमई मंत्रालय बिहार सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई), पीएम विश्वकर्मा, परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि जैसी स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

(घ) एमएसएमई मंत्रालय बिहार सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता, बाजार विकास और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

क. मंत्रालय भावी/मौजूदा एमएसएमई को निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है: (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जो गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस), जिसमें 90% तक की गारंटी कवरेज के साथ 500 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं, (iii) विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) जो संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 25% की सब्सिडी प्रदान करती है, (iv) पीएम विश्वकर्मा स्कीम 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है जो अपने हाथों और औजारों के साथ कार्य करते हैं तथा कौशल, आधुनिक टूलकिट, सब्सिडी-युक्त ऋण, विपणन सहायता और डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन में सहायता प्रदान की जाती है। (v) एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) राज्यों द्वारा प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।

ख. एमएसएमई के लिए बाजार संवर्धन हेतु, मंत्रालय खरीद और विपणन सहायता स्कीम जैसी विभिन्न स्कीमों का कार्यानन्वयन करता है, जो व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑन-बोर्डिंग आदि में भागीदारी के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एमएसई को लाभ प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने में सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल ओएनडीसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के लिए एमएसई की सहायता करती है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम कारीगरों और शिल्पकारों को विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विभिन्न व्यापार मेलों में भागीदारी, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों और डिजिटल मार्केटिंग में सहायता के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति यह अधिदेशित करती है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों से आवश्यक रूप से खरीद करें।

ग. रैम्प कार्यक्रम और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएसएमई को गुणवत्ता प्रमाणन, संसाधन दक्षता, नवाचार, डिजिटलीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहायता करती है। देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों / टूल रूम का नेटवर्क एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और कौशल, और व्यापार परामर्श सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके एमएसएमई की सहायता करता है।

***

अनुबंध –I

दिनांक 27 मार्च 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4557 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बिहार राज्य में दिनांक 01/07/2020 **से** 15/03/2025 **तक उद्यम के अंतर्गत स्थापित जिला-वार नए उद्यम और रोजगार की सूचना**						
क्र. सं.	**ज़िला**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**	**रोज़गार**
1	अररिया	21,883	116	5	**22,004**	**1,87,317**
2	अरवल	4,795	14	1	**4,810**	**23,146**
3	औरंगाबाद	18,972	67	3	**19,042**	**1,90,270**
4	बांका	14,554	31	-	**14,585**	**66,983**
5	बेगूसराय	26,986	87	3	**27,076**	**1,91,744**
6	भागलपुर	31,176	94	3	**31,273**	**1,91,432**
7	भोजपुर	18,098	79	4	**18,181**	**1,04,351**
8	बक्सर	12,756	56	3	**12,815**	**68,101**
9	दरभंगा	28,056	82	6	**28,144**	**1,66,263**
10	गया	35,269	168	3	**35,440**	**2,11,225**
11	गोपालगंज	18,875	68	6	**18,949**	**1,06,875**
12	जमुई	12,477	43	-	**12,520**	**59,613**
13	जहानाबाद	7,683	27	1	**7,711**	**58,255**
14	कैमूर (भभुआ)	10,548	116	1	**10,665**	**58,797**
15	कटिहार	22,543	72	-	**22,615**	**1,64,537**
16	खगरिया	13,906	42	2	**13,950**	**67,062**
17	किशनगंज	10,002	30	1	**10,033**	**76,971**
18	लखीसराय	6,771	10	-	**6,781**	**36,756**
19	मधेपुरा	14,365	68	4	**14,437**	**1,81,392**
20	मधुबनी	28,219	72	-	**28,291**	**1,41,701**
21	मुंगेर	11,935	23	-	**11,958**	**61,425**
22	मुजफ्फरपुर	45,429	151	14	**45,594**	**3,20,230**
23	नालंदा	23,792	107	4	**23,903**	**1,27,529**
24	नवादा	17,554	75	6	**17,635**	**1,10,153**
25	पश्चिम चंपारण	27,208	88	2	**27,298**	**2,09,018**
26	पटना	96,702	492	41	**97,235**	**5,48,716**
27	पूर्वी चंपारण	42,275	276	75	**42,626**	**2,85,539**
28	पूर्णिया	30,597	154	21	**30,772**	**2,75,514**
29	रोहतास	23,208	168	2	**23,378**	**1,32,099**
30	सहरसा	15,915	56	3	**15,974**	**1,28,275**
31	समस्तीपुर	36,014	116	1	**36,131**	**2,35,594**
32	सारन	28,591	100	10	**28,701**	**2,06,448**
33	शेखपुरा	5,714	20	1	**5,735**	**26,039**
34	शिवहर	5,176	9	-	**5,185**	**26,587**
35	सीतामढ़ी	22,885	79	2	**22,966**	**1,83,691**
36	सिवान	24,354	96	1	**24,451**	**1,49,278**
37	सुपौल	20,529	64	1	**20,594**	**1,43,689**
38	वैशाली	30,537	91	2	**30,630**	**2,22,904**
	कुल:-	**8,66,349**	**3,507**	**232**	**8,70,088**	**57,45,519**
रिपोर्ट दिनांक:- 21/03/2025 07:30 अपराह्न						